प्रवेश सत्र 2025–26 में अवशेष रिक्त सीटों पर संस्थान स्तर पर "ऑन द स्पॉट काउंसलिंग" द्वारा प्रवेश किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

तिथि –

1. संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग हेतु विकल्प भरे जाने तथा मैरिट सूची प्रकाशन एंव प्रवेश के सम्बन्ध में समयसारिणी निम्नवत् रहेगी–

क्र0सं0	गतिविधि	तिथियां	विवरण
1	मैनवल काउन्सिलिंग हेतु आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि	24.08.2025 से 27.08. 2025 तक	संस्थान में प्रवेश हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा एक–एक छायाप्रति के साथ शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में प्रवेश न लिये जाने की स्थिति में सीट को रिक्त मान लिया जायेगा।
2	जनपद के सस्थानों में व्यवसायवार प्रवेश हेतु मैरिट/आबंटन सूची का प्रकाशन	28.08.2025	
3	ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में प्रवेश लिये जाने की तिथि	29.08.2025	

2. अवशेष सीटों के सापेक्ष राज्य के 13 जिलो के समस्त राजकीय संस्थानों में मैनवल ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 09:30 बजे से प्रारम्भ करते हुये समस्त प्रतिभागी आवेदकों के प्रक्रिया में सम्मिलित होने अथवा समस्त सीटें भरे जाने जो भी पूर्व में हो तक सम्पन्न की जायेगी।

पात्रता –

3. प्रवेश की प्रक्रिया हेतु परिषद की वेवसाईट पर उपलब्ध विवरणिका का विस्तृत अवलोकन कर लें एवं तद्नुसार ही कार्यवाही सम्पादित करें।
4. संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग में पूर्व में ऑनलाईन आवेदन करने से वंचित अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यर्थी से निर्धारित आवेदन शुल्क लिया जायेगा।
5. पूर्व के दो ऑनलाइन आवंटनों में प्रथम विकल्प प्राप्त होने तथा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को इस प्रस्तावित संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन को दो चरणों की चरणों की ऑनलाईन काउन्सिलिंग में प्रथम विकल्प को छोडकर अन्य भरे गये विकल्पों के अनुरूप सीट पूर्व में आवंटित हुई तथा उनके द्वारा तदनुसार प्रवेश लिया जा चुका, को वर्तमान काउन्सिलिंग में इस प्रतिबन्ध के अधीन सम्मिलित किया जा सकता है कि पूर्व में आवंटित सीट को रिक्त कराई जाने की स्थिति में ही प्रतिभाग कर सकेगा और उनके द्वारा रिक्त की गयी व्यवसाय की सीट को इस संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग में अन्य अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु गणना में लिया जायेगा।
7. पूर्व में ऑनलाईन /ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को इस चरण में प्रतिभाग करने हेतु वांछित संस्थान में अनिवार्य रूप से आवेदन /पंजीकरण करना होगा। इस हेतु उनका आवेदन / पंजीकरण निशुल्क रहेगा। अभ्यर्थी को पूर्व में आवेदन किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य के रूप पूर्व में निर्गत रैंक कार्ड / एलोटमेंट लेटर /आवेदन की प्रति आदि में से कोई एक अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व में किये गये आवेदन में अंकित इच्छित संस्थान / व्यावसाय के विकल्प इस चरण में अमान्य होगें। संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग में इच्छित व्यावसाय के विकल्प का चयन अभ्यर्थी द्वारा तत्समय ही किया जायेगा अतएव आवेदन में अभ्यर्थी को विकल्प देने अनिवार्य नहीं होगे।

शुल्क –

8. संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग की वर्तमान प्रक्रिया पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों हेतु पूर्णतयाः निशुल्क है।
9. संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग में नये अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क (एसटी/एससी हेतु 250/– एवं सामान्य/ओबीसी हेतु 350/–) लिया जायेगा।

मैनवल काउन्सिलिंग हेतु सीटें –

10. दो चरणों की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के सापेक्ष संस्थानवार / व्यवसायवार / आरक्षणवार भरी सीटो के ऑनलाईन पोर्टल पर संस्थानों द्वारा अंकन पश्चात् अवशेष सीटों हेतु संस्थान स्तर पर ऑन दि स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
11. संस्थान स्तरीय ऑन द स्पॉट मैनवल काउन्सिलिंग हेतु संस्थानवार व्यवसायवार उपलब्ध सीटों का आरक्षण वर्गवार विभाजन कर प्रदेश के संस्थानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रवेश की कार्यवाही उक्त रिक्त सीटों के अनुसार ही किये जायेगें।
12. आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की छायाप्रति भी जमा करनी अनिवार्य होगी।
    - समस्त शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख ।
    - मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण पत्र
    - आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र
    - आधार कार्ड की छायाप्रति
    - नवीनतम पासपोर्ट फोटो (4 फोटो)
    - रैंक कार्ड/एलोटमेंट लेटर/आवेदन की प्रति आदि में से कोई एक अभिलेख की प्रति (यदि पूर्व में आवेदन किया गया हो)
    - पूर्व से किसी व्यवसाय / संस्थान में प्रवेशित होने की स्थिति में पूर्व प्रवेशित सीट को रिक्त किये जाने सम्बन्धी घोषणा प्रपत्र तथा नाम पृथक किये जाने सम्बन्धी संस्थान का आदेश ।
    - राज्य सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित प्रशिक्षण एवं अन्य शुल्क (प्रवेश की स्थिति में)